| A Set MUMBA METRON | ALL DESIGN DE LEGION DE LEGION | | मुं.म संकेतस् | (महाराष्ट्र श न.प्र.वि.प्राधिकरण थळ : <u>https://m</u> | श विकास प्राधिव ॥सन अंगिकृत) । कार्यालय नवीन ईमारत <u>mrda.maharashtra.gov.in</u> ६५९४०१४/४११८/५९५१ | | | |
|--------------------|---|--|---|--|--|-------------------|------------------------|----------------|
| Ŧ | ^{नुं} बई महानगर प्रदेश विकास | । प्राधिकरणाच्या | आस्थापनेवरील 'उ ———————— | पलेखापाल' व | 'दूरध्वनीचालक' संवर्गात | ोल रिक्त पदे | सामाजिक व | समांतर |
| | ाचे नाव व वेतनश्रेणी | आरक्षप | | | भरण्याबाबत जाहिरात. | | | |
| पद | ाच नाव व वतनश्रणा उपलेखापाल | शैक्षणिक अर्हत | | | ।लेली शैक्षणिक अर्हता, अ ।द्यापीठाची वाणिज्य शाखे | | प्रगत लेखांक | न आणि |
| पी.ब | न्रीII रु.९३००-३४८०० + ग्रे.वे.रु.४३००/- | | लेखापरि | | ाषयासह वाणिज्य शाखेची प | | | |
| | (एकूण पदे - २५) | | रेक्न गटांचे गटर्ग | चेत्रास सामाजित | ह / समांतर आरक्षण | | | |
| अ. | समांतर आरक्षण → | महिला | रपरा पदाच प्रवन । माजी सैनिक | गहांच सामाणि प्रकल्पग्रस्त | अशंकालीन पदवीधर | सर्वसाधारण | ग गक | ण पदे |
| ज. क्र. | सामाजिक | (३ ०%) | (૧ ૯ %) | (4 %) | / पदविका (१०%) | | · ~~ | ~1 44 |
| १ | अनुसूचित जाती | ०२ | ०१ | - | ०१ | ०१ | | ૦૫ |
| २ | अनुसूचित जमाती | - | _ | - | - | ०१ | | ०१ |
| ३ | वि.जा. (अ) | - | _ | - | - | - | | - |
| ४ ५ | भटक्या जमाती (ब) भटक्या जमाती (क) | - | | - | - | <u>وه</u> | | <u>وم</u> |
| ५ ६ | भटक्या जमाती (ङ) | | <u> </u> | _ | | <u>-</u> ०१ | | <u>-</u> ०१ |
| ف | इतर मागास वर्ग | ०१ | _ | - | - | ०२ | | ०३ |
| ८ | विशेष मागास प्रवर्ग | - | _ | - | - | - | | - |
| ९ | खुला | ०४ | ०२ | ०१ | ०१ | ०६ | | १४ |
| প্রবৃত | गंग = विकलांग वर्गवारीकरित शक्तीतील दोष, श्रवणशक्ती | तील दोष उपलब्ध | न झाल्यास सदर पद | चलनवलन विष | पक विकलांगता (OL) प्रवग | | येईल. | झाल्यास |
| १० | एकूण ०७ | ०३ | ०१ | 0 | | | રષ | 1 |
| प | दाचे नाव व वेतनश्रेणी | पदा | करोता आवश्यकः | असलेली शैक्षणि | ाक अर्हता, अनुभव व वय | r | अनुसूचित जमाती | एकूण पदे |
| Ч | .बी। रु.५२००-२०२०० + ग्रे.वे.रु.२०००/- (एकूण पद - १) | संस्थेची परीक्षा उत्तीर्ण असणे आवश्यक. तसेच उमेदवाराने शासनमान्य संस्थेमार्फत दूरध्वनीचालक पदाकरिता आवश्यक असलेला कोर्स केलेला असणे आवश्यक. उमेदवाराचे इंगजी व मराठी भाषेवर प्रभुत्व असावे तसेच हिंदी भाषा सफाईदारपणे बोलता येणे आवश्यक. <u>वयोमर्यादा</u> : मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे वयोमर्यादा राहील. | | | | | | |
| <u>ر</u> | | | (प्राधिकरणाती | ल कर्मचारी यांन | वयाचे बंधन नाही) | | | |
| सवर १) | साधारण अटी :- उमेदवारांनी <u>https://mmrd</u> आवश्यक राहील. हस्तदेय / | a.maharashtra.go ' टपालाव्दारे प्राप्त | <u>ov.in</u> संकेतस्थळाम झालेले अर्ज विचारात | ार्फत दिनांक २२ त घेतले जाणार न | / ०५/२०१८ ते दिनांक १० ाहीत. | ०/०६/२०१८ र | ार्यत अर्ज सादः | र करणे |
| २) | उपरोक्त संवर्गातील पदांकरिता नमूद केलेले वय, शैक्षणिक अर्हता व इतर सर्व अर्हतेबाबतची प्रमाणपत्रे दिनांक १०/०६/२०१८ पर्यंतचीच वैध असतील. त्यानंतरची प्रमाणपत्रे ग्राह्य धरण्यात येणार नाहीत. | | | | | | | |
| ३) | <u>बयोमर्यादा</u> : अ) मागास प्रवर्गासाठी ४३ वर्षे व खुल्या प्रवर्गासाठी ३८ वर्षे वयोमर्यादा राहील. (प्राधिकरणातील कर्मचारी यांना वयाचे बंधन नाही) ब) माजी सैनिकांच्या बाबतीत संरक्षण दलातील ६ महिन्यापेक्षा जास्त सलग सेवा केली आहे अशा माजी सैनिकांचे वय वजा त्यांनी सशस्त्र दलात केलेली सेवा अधिक ३ वर्षे इतकी सवलत त्यांना देण्यात येईल. क) अंशकालीन पदवीधर / पदविकाधारक यांना कमाल वयोमर्यादा ४६ वर्षे राहील. ड) अपंग/ प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांकरिता कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षे राहील. | | | | | | | |
| ४) | महिला, अपंग व माजी सैनि | कांचे आरक्षण शास | ानाने यासंदर्भात वेळ | विळी निर्गमित वे | लेल्या आदेशानुसार राहील | | | |
| ५) | माजी सैनिक/ प्रकल्पग्रस्त य करणे आवश्यक राहील. | ा समांतर आरक्षणा | च्या प्रवर्गात मोडणा | ऱ्या उमेदवारांना | समांतर आरक्षणाच्या पृष्ठयश् | र्थ सक्षम प्राधिक | गऱ्याचा दाखल | ा सादर |
| ६) | महाराष्ट्र शासनाच्या "सुशिक्षित बेरोजगारांना अर्थसहाय्य" या योजनेअंतर्गत शासकीय कार्यालयामध्ये तीन वर्षापर्यंत दरमहा मानधनावर काम केलेल्या अनुभवाची नोंद रोजगार मार्गदर्शन केंद्रामध्ये केलेली असली पाहिजे. तसेच प्राधिकृत अधिका-याने वितरीत केलेले अंशकालीन उमेदवाराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक राहील. | | | | | | | |
| ७) | अपंग व्यक्तीसाठी संबंधित प्रवर्गाचे किमान ४०% अपंगत्वाचे संबंधित जिल्हयाच्या शासकीय रुग्णालयातील प्राधिकृत वैद्यकिय तज्ञाचे दिलेले प्रमाणपत्र धारण करणे आवश्यक आहे. | | | | | | | |
| ८) | महिलांसाठी आरक्षित पदाकरीता दावा करणा-या उमेदवारांनी महिला आरक्षणाचा लाभ घ्यावयाचा असल्यास त्यांनी महाराष्ट्राचे अधिवासी (Domeciled) असल्याबाबत तसेच नॉन क्रीमीलेअर मध्ये मोडत असल्याबाबतचे (अ.जा. व अ.ज. वगळून) प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. | | | | | | | |
| ۶) | जाहिरातीमधील समांतर आरक्षणांतर्गत महिला उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास त्या-त्या प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांमार्फत भरण्यात येईल. | | | | | | | |

| १०) | समांतर आरक्षणातील प्रवर्गातील उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास, सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-१०९७/प्र.क्र.३१/९८/१६-अ, | | | | |
|-------------|--|--|--|--|--|
| | दिनांक १६.३.१९९९ आणि सामान्य प्रशासन विभाग परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-१०१२/१६/१२/१६-अ, दिनांक १३.८.२०१४ नुसार त्याच सामाजिक प्रवर्गातील उमेदवार भरण्यात येईल. | | | | |
| ११) | उमेदवारांना मराठी भाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक (याबाबत माध्यमिक शालान्त परिक्षेचे प्रमाणपत्र सादर करावे.) अन्यथा त्यांना महाराष्ट्र शासन अधिसुचना क्र.मभाप-१०८७/१४/सीआर-२/८७/२०, दिनांक ३० डिसेंबर, १९८७ नुसार मराठी भाषा परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. | | | | |
| १२) | शासन परिपत्रक क्र.एसआरव्ही-२०००/प्र.क्र.(१७/२०००)/बारा, दिनांक २८ मार्च, २००५ अन्वये नियम ४ 'अ' अनुसार लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. | | | | |
| १३) | निवड झालेल्या मागासवर्गातील उमेदवारांनी अर्जासोबत महाराष्ट्र शासनाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या जात प्रमाणपत्र / जात वैधता प्रमाणपत्राची साक्षांकीत प्रत सादर करणे आवश्यक आहे. जर जात वैधता प्रमाणपत्र नसेल तर ते नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांच्या आत सादर करणे बंधनकारक राहील. विहित मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास त्यांची/तिची नेमणूक तात्काळ कोणत्याही पत्रव्यवहारविना समाप्त करण्यात येईल. | | | | |
| १४) | मागास प्रवर्गातील आरक्षण हे महाराष्ट्र राज्याच्या अधिवास उमेदवारापुरतेच मर्यादित राहील.) मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनी महाराष्ट्रातील वास्तव्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने दिलेले विहित अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. | | | | |
| १५) | भज (ब), भज (ड) आणि इतर मागासवर्ग या प्रवर्गातील उमेदवारांनी समाजाच्या उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे दिनांक ३१ मार्च, २०१९ पर्यंत वैध असलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे. | | | | |
| १६) | सदर पदासाठी एमएस-सीआयटी अथवा D.O.E.A.C.C. सोसायटीच्या अधिकृत C.C.C. किंवा O स्तर किंवा A स्तर किंवा B स्तर किंवा C स्तरापैकी कोणतीही एक प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण असणे हे अनिवार्य आहे. सदर अर्हता निश्चित केलेली असल्याने ते प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर करणे आवश्यक आहे. विहीत प्रमाणपत्र नसल्यास, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.प्रशिक्षण २०००/प्र.क्र.६१/२००१/३९, दिनांक १९ मार्च, २००३ नुसार नियुक्तीच्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या आत विहित प्रमाणपत्र उपलब्ध करुन देणे आवश्यक आहे. विहित मुदतीत संगणक हाताळणी/वापराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर न केल्यास तात्काळ सेवा समाप्त करण्यात येईल. | | | | |
| १७) | शासकीय सेवेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या कार्यालयाचे "ना हरकत प्रमाणपत्र" सादर करणे अत्यावश्यक राहील. | | | | |
| १८) | रोजगार व स्वयंरोजगार कार्यालय तसेच जिल्हा सैनिक कार्यालय यांचे कार्यालयात नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना सुध्दा online अर्ज करणे आवश्यक आहे. | | | | |
| <i>१९</i>) | निवड प्रकियेदरम्यान व तद्नंतर उमेदवारांनी सादर केलेली प्रमाणपत्रे संशयास्पद वा अयोग्य/अपर्याप्त आढळल्यास उमेदवारांची निवड/नियुक्ती कोणत्याही टप्यावर रद्द केली जाईल. | | | | |
| २०) | सदर जाहिरातीमध्ये नमूद केलेल्या आरक्षणांच्या संख्येमध्ये बदल झाल्यास आरक्षित पदांमध्येही बदल होणार असल्यामुळे त्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याचा निर्णय अंतिम राहील. | | | | |
| २१) | परीक्षा शुल्क (नापरतावा) : खुला प्रवर्ग = रु.३००/- आणि राखीव प्रवर्ग = रु.१५०/ परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड अथवा नेटबॅंकिंगमार्फत करता येईल. (माजी सैनिकांकरीता परीक्षा शुल्क आकारण्यात येणार नाही.) | | | | |
| २२) | सदर पदाकरीता उमेदवारांची ऑनलाईन पध्दतीने स्पर्धा परीक्षा घेण्यात येणार आहे. उमेदवाराने स्पर्धा परीक्षेत मिळालेल्या गुणांच्या आध उमेदवारांच्या कागदपत्रांची तपासणी करण्यात येईल व त्यानंतर पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीचे देकारपत्र देण्यात येईल. | | | | |
| २३) | परीक्षा प्रक्रिया, अभ्यासक्रम इत्यादीबाबत तपशील स्वतंत्रपणे प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात येईल. | | | | |
| २४) | उपरोक्त पदांकरीता जर प्रतिक्षासूची तयार करण्यात आली तर त्यातील निवड झालेल्या उमेदवारांचा आवश्यकतेनुसार नेमणूकीकरीता विच करण्यात येईल. तथापि, सदर प्रतिक्षासूची कोणत्याही परिस्थितीत एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधीकरीता ग्राहय असणार नाही. | | | | |
| રષ) | निवडीसाठी शिफारस अथवा दबाव आणल्यास उमेदवार निवड व नियुक्तीसाठी अपात्र ठरविला जाईल. | | | | |
| २६) | जाहिरातीच्या अनुषंगाने कार्यवाही न करण्याचे व ती कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्याचे अधिकार मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांनी राखून ठेवलेले आहेत. | | | | |
| રહ) | विहित अर्हता पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांनी, उपरोक्त अटींची पूर्तता होत आहे याची खातरजमा करुन त्यांचे वेब-आधारित ऑनलाईन अर्ज दिनांक १०/०६/२०१८ पर्यंत <u>https://mmrda.maharashtra.gov.in</u> मार्फत (Tender Notice & Vacanices) मधून सादर करावेत. | | | | |
| | दिनांक : २२ मे,२०१८ सही/- ठिकाण : मुंबई अति.महानगर आयुक्त (१) प्रकल्प संचालक (मुं.ना.प.प्रकल्प) मुं.म.प्र.वि.प्राधिकरण | | | | |



MUMBAI METROPOLITAN REGION DEVELOPMENT AUTHORITY (A Govt. of Maharashtra Undertaking) M.M.R.D.A. Office New Building, Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051. Website : https://www.db.m.ebspreibter.gov.in

Website : <u>https://mmrda.maharashtra.gov.in</u> Tel. 022-26594014/4118/5951

Advertisement for filling the posts of 'Deputy Accountant' and 'Telephone Operator' on permanent basis as per social and horizontal reservation in Mumbai Metropolitan Region Development Authority.

| Name of the Post & Pay Scale. Deputy Accountant PBII Rs.9300-34800 + G.P.Rs.4300/- | | | Required Qualification & Experience | | | | | | |
|---|--|----------------|--|-----------------------------|--|----------------------|-----------------|--|--|
| | | | <u>Qualifications</u> | intancy and Au | diting | | | | |
| | | 25 | Vacant posts as per s | social and horizo | ontal reservation. | | | | |
| Sr. No. | Horizontal | Women (30%) | Ex-Serviceman (15%) | Project Affected (5%) | Part time Degree/ Diploma Holders (10%) | General | Total Posts | | |
| 1 | S.C. | 02 | 01 | - | 01 | 01 | 05 | | |
| 2 | S.T. | - | - | - | - | 01 | 01 | | |
| 3 | V.J.(A) | - | - | - | - | - | - | | |
| 4 | N.T.(B) | - | - | - | - | 01 | 01 | | |
| 5 6 | N.T.(C) N.T.(D) | - | - | - | - | 01 | 01 | | |
| 7 | OBC | 01 | | - | - | 01 | 01 | | |
| 8 | SBC | - | _ | - | _ | - | - | | |
| 9 | OPEN | 04 | 02 | 01 | 01 | 06 | 14 | | |
| there disat | to is firstly for low pility category. | | n-availability thereof | goes to hearing | m the total number of po impaired and lastly ca | arried forward | to molecula | | |
| 10 | Total | 07 | 03 | 01 | 02 | 12 | 25 | | |
| Name of the Post & Pay Scale | | | Required (| Sche Tr | | | | | |
| PBI Rs.5200-20200 + G.P.Rs.2000/- | | | completed Telephone Operating Course from an Institute recognised by the Government of Maharashtra. Should br able to speak English/Marathi fluently. Ability to speak Hindi desirable.01Age Limit43 years for reserve category .1 | | | | | | |
| C | | | | ge limit for MMR | | | | | |
| | eral Conditions | | · 1 | 1 1 1.4 | // 1 1 1.4 | | 2/05/2010 4 | | |
| 1) | | | ived by hand / by pos | | <u>s://mmrda.maharashtra.</u> sidered. | <u>gov.in</u> from 2 | 2/05/2018 to | | |
| 2) | 11 | | 7 7 1 | | | will not be co | nsidered | | |
| 3) | Age, Qualification as on 10/06/2018 will considered valid. Qualification acquired afterwards will not be considered. Age Limit : 1) 43 years for reserve category and 38 years for Open Category. (No age limit for MMRDA employees) 2) Ex-Serviceman who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces are allowed to deduct from their age the length of continuous service in the Armed forces plus 3 years. 3) Age Limit up to 46 year for the part-time graduates/post graduates. 4) Age Limit up to 45 year for Handicapped/ Project Affected. | | | | | | | | |
| 4) | The reservation of women, disabled and ex-servicemen will be done by the Government from time to time as per the order issued. | | | | | | | | |
| 5) | Candidates belonging to Ex-servicemen / Project Affected horizontal reserved category should submit their certificate issued by the competent authority of the same horizontal reserved category. | | | | | | | | |
| 6) | Under the scheme "Financial Assistance for educated unemployed" of the Government of Maharashtra, the work done and its experience in the government office for three years is to be recorded in the Employment Guidance Centers. Also, it will be necessary to submit a certificate of part-time candidacy delivered by the authorized officer. | | | | | | | | |
| | Handicapped candidate should possess 40% Disable Certificate from the competent Government Medical Officer of Government Hospital of the concerned reserved category. | | | | | | | | |
| 7) | Government Hosp | ital of the co | ncerned reserved cate | egory. | | | | | |
| 7) 8) | - | ng reservatio | | | rashtra's Domicile and | non-creamy lay | ver Certificato | | |

| 10) | If the candidate is not available from the Horizontal reservation, the candidate will be filled in the same social category as per GAD Circular No.SRV-1097/C.R.31/98/16-A, dated 16.3.1999 and GAD Circular No.SRV-1012/16/12/16-A, dated 13.8.2014. | | | |
|-----|---|--|--|--|
| 11) | Candidate should have knowledge of Marathi language. (Candidate should submit S.S.C. Examination certificate.). Otherwise they have to pass Marathi examination as per the Government notification No.मभाप-1087/14/सीआर-2/87/20, dated 30 December, 1987 | | | |
| 12) | As per Government Rule 4 "A" of the Government notification No.SRV-2000/CR(17/2000)/Twelve, dated 28 th March, 2005, the Candidate should produce/submit an affidavit of having a small family. | | | |
| 13) | The Backward Class candidate should have Caste Certificate / Caste Validity Certificate issued by the Competent Authority of Govt. Of Maharashtra and should produce/submit the same. If the Caste Validity Certificate is not available, it is binding to submit the Caste Validity Certificate within six months from the date of appointment, failing which, his/her selection/appointment on the post will automatically come to end with immediate effect without any communication. | | | |
| 14) | The reservation to Backward reserved Category is applicable only to the Backward Class candidates of Maharashtra State. The candidates are compulsorily required to produce/submit Domicile certificate of Maharashtra State without giving any reason. | | | |
| 15) | Candidate applying for the N.T(C),N.T.(D) and Other Backward Class should produce/submit Non Creamy layer Certificate valid till 31 st March, 2019. | | | |
| 16) | Candidates are required to pass one of the certificate examinations of MS-CIT or CCC or O-level or A-level or B-level or C- level which is compulsorily additional qualification for all posts. Accordingly he/she should produce /submit a copy of the Certificate. If the candidate does not have such certificate, then he/she should pass the said Certificate Examination within two years from the date of appointment according to the GOM's GAD,GR.No. Training 2000/C.R.61/2001/39, dated 19 th March, 2003 failing which his/her services would be terminated with immediate effect without any communication. | | | |
| 17) | The candidate already employed in Govt. Sector, should compulsorily produce/ submit his/her 'No Objection Certificate from present employer. | | | |
| 18) | Candidate who registered in the Office of the Employment & Self Employment and The Department of Sainik Welfare Office also need to apply Online. | | | |
| 19) | The selection of the candidate is liable to be terminated/cancelled at any point of stage if the copies of certificate submitted by the candidate at the time of interview/selection or thereafter are found to be invalid, suspicious and/or incomplete. | | | |
| 20) | Number of Posts indicated in the advertisement may increase/decrease depending on our requirements. Accordingly reserved posts will be changed. Decision of the Competent Authority will be Final. | | | |
| 21) | Examination fee (non-refundable), For Open category = Rs.300/- and Reserved category = Rs.150/ The payment can be made by using credit card / debit card or net banking. (Exam Fees will not be charged from Candidates who belongs to Ex-Serviceman.) | | | |
| 22) | Candidates will have to undergo competitive examination. The documents will be verified on the basis of the marks obtained in the Competitive Examination and the eligible candidates will be issued Offer Letter. | | | |
| 23) | The details of Exam and Syllabus will be published on MMRDA website, separately. | | | |
| 24) | Waiting List prepared, if any, on the basis of Merit will be kept live for certain period depending on our requirement, however in any case, not beyond one year. | | | |
| 25) | Recommendations and pressure for selection of candidates will not be entertained at any point of time. On the contrary, the said candidates who try to pressurize will be treated as ineligible for selection/appointment. | | | |
| 26) | This Authority reserves its right either to cancel /postpone the entire procedure in accordance with the advertisement or to cancel/postpone the advertisement, without any justification. | | | |
| 27) | Candidates fulfilling above criteria shall fill up their Online application/s (Web-based) till dated 10/06/2018 through website https://mmrda.maharashtra.gov.in (Tender Notice & Vacancies) | | | |
| | Date : 22 st May, 2018 Place : Mumbai Sd/- Addl. Metropolitan Commissioner (1) Project Director (MUTP) MMRDA | | | |